

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-02/2020
प्रेषक,

1996

पटना, दिनांक 31/3/21

कृष्ण मोहन सिंह
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:- मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु- उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105- रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनरीक्षित उपबंध कुल राशि ₹ 190000.00000 लाख ₹0 (एक हजार नौ सौ करोड़) ₹0 के विरुद्ध निकासी हेतु अवशेष सीलिंग राशि ₹ 3392.48513 लाख ₹0 (तीतीस करोड़ बानबे लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तेरह) ₹0 मात्र की राशि ब्राडा के पी0एल0 खाते में संधारण हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु -उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुनरीक्षित उपबंध कुल राशि ₹ 190000.00000 लाख ₹0 (एक हजार नौ सौ करोड़) ₹0 के विरुद्ध सम्प्रति निकासी की अधिसीमा राशि ₹ 190000.00000 लाख ₹0 (एक हजार नौ सौ करोड़) ₹0 मात्र के अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत पथों में कराये गये कार्य के भुगतान के निमित्त निकासी हेतु अवशेष सीलिंग राशि ₹ 3392.48513 लाख ₹0 (तीतीस करोड़ बानबे लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तेरह) ₹0 मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37- 3054041050001 है।

2- वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account-PLA239) में संधारित करेंगे।

3- उक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी के द्वारा महालेखाकार को भेजते हुए ग्रामीण कार्य विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

Sanctioning Order 2020-21

Chandan

आंतरिक वित्तीय सहायकार द्वारा
अनीपचारिक रूप से परामर्शित

7549. 10 3114 (9) 20

4- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-253/वि0 (2) दिनांक- 11.03.2014 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।

5- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

6- इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या-13/अ0प्र0-01-02/2020 के पृ0-10/टि0 पर दिनांक- 26.03.2021 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-01-02/2020

1996

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना/ सिंचाई भवन, कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक 31/3/21

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-01-02/2020

1996

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रा0का0वि0 के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार/ सचिव, ब्राडा-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रा0का0वि0/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/ सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0/ वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा एवं लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक 31/3/21

ज्ञापांक -13/अ0प्र0-01-02/2020

1996

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।

सरकार के उप सचिव

/पटना, दिनांक 31/3/21